न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 07 / 2026	07–04–2026	30.4.2026

1–सरकार जर्ये उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद खैरथल– तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

2– M/S Ekaksh Polymers G-1/1431, Rampur Mundana Riico Indl. Area Bhiwadi (Raj.) प्रतिनिधी अशोक कुमार पुत्र हरबंश लाल टी–298, बाल उद्यान रोड, उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 6 ए अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1986 क्लोज 19, 21 एवं 25 के तहत परिवाद।

उपस्थितः–

1– विभागीय प्रतिनिधि — उपस्थित

2– अप्रार्थी — उपस्थित

––:: निर्णय ::––

उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद खैरथल– तिजारा (राजस्थान) द्वारा दिनाक 20.02.2026 को गठित दल द्वारा रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया भिवाडी में M/S Ekaksh Polymers G-1/1431, Rampur Mundana Riico Indl. Area Bhiwadi (Raj.) का निरीक्षण किया गया, जिसमें फैक्ट्री में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा उक्त औधोगिक प्रयोग यूरिया (Technical Grade Urea) जिसको उक्त फर्म ने फर्म Rajnish Chemical Co Llp E-127 a, Ricco Industrial Area Phase 1, Bhiwadi, 301019 के बिल संख्या Lgst/178/24-25 दिनाक 25.09.2024 से खरीदा गया जो कि मानक स्टेण्र्ड जिसमें उत्पादन एवं विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को संदेहजनक माना जाकर संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद खैरथल–तिजारा के निर्देशानुसार नमूना आहरित (नमूना कोड – Ad(hq)/F/2025-26/001 किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) ज़िला परिषद खैरथल–तिजारा के निर्देशानुसार फर्म पर उपलब्ध अन्य औधोगिक यूरिया (Technical Grade Urea) से (नमूना कोड Ad(hq)/F/2025-26/002) एंव फर्म पर तैयार किये जा रहे उत्पाद का भी नमूना (नमूना कोड Ad(hq)/F/2025-26/003) लिया गया। इस प्रकार 03 नमूने आहरित किये गये। जिसको राजकीय परीक्षण प्रयोगशाला में जॉच हेतु भिजवाया गया। टीम के सदस्य संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खैरथल–तिजारा एवं कृषि अधिकारी के साथ गठित टीम द्वारा दिनाक 20.02.2026 को लगभग 12.00 बजे मौके पर जाकर उक्त संदेहस्पद नीम कोटेड यूरिया की जब्ती मात्रा 195 गुणा 50 किगा (9750 किगा) हेतु टीम के सदस्यो के साथ मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खैरथल–तिजारा के निर्देशानुसार उक्त जब्त संदेहस्पद नीम कोटेड यूरिया को भिवाडी ग्राम सेवा सहकारी समिति शाखा टपूकडा की अभिरक्षा में रखवाया गया है। फर्म के व्यवस्थापक को सुपुर्दगी देकर रसीद प्राप्त की गयी। उक्त उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

2. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (उ०वि०) कृषि ...

19,21 एवं 25 के तहत संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की दिनाक 20.02.2026 को जब्ती की गयी। फर्द जब्त, फर्द मौका नक्शा आदि तैयार किया गया। उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया का उपयोग फैक्ट्री में उपयोग किया जा रहा था। जब्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया मात्रा 195 गुणा 50 किग्रा (9750 किग्रा) को भिवाडी ग्राम सेवा सहकारी समिति शाखा टपूकडा की अभिरक्षा में रखवाया गया है। उक्त प्रकरण मे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्त उर्वरक को नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट आने पर या उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत राजसात करने एवं निस्तारण करने की कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया गया। गैरसायल उपस्थित हुआ।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया है, कि दिनाक 20.02.2026 को रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया भिवाडी में M/S Ekaksh Polymers G-1/1431, Rampur Mundana Riico Indl. Area Bhiwadi (Raj.) का निरीक्षण किया गया, जिसमें फैक्ट्री में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा उक्त औधोगिक प्रयोग यूरिया (Technical Grade Urea) जिसको उक्त फर्म ने फर्म Rajnish Chemical Co Llp E-127 a, Ricco Industrial Area Phase 1, Bhiwadi, 301019 के बिल संख्या Lgst/178/24-25 दिनाक 25.09.2024 से खरीदा गया जो कि मानक स्टेण्र्ड जिसमें उत्पादन एवं विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को संदेहजनक माना जाकर संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद खैरथल–तिजारा के निर्देशानुसार नमूना आहरित (नमूना कोड – Ad(hq)/F/2025-26/001 किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद खैरथल–तिजारा के निर्देशानुसार फर्म पर उपलब्ध अन्य औधोगिक यूरिया (Technical Grade Urea) से (नमूना कोड Ad(hq)/F/2025-26/002) एंव फर्म पर तैयार किये जा रहे उत्पाद का भी नमूना (नमूना कोड Ad(hq)/F/2025-26/003) लिया गया। इस प्रकार 03 नमूने आहरित किये गये। जिसको राजकीय परीक्षण प्रयोगशाला में जॉच हेतु भिजवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाकर जर्ये पत्राक 5801–04 दिनाक 27.03.2026 को भिजवायी गयी है, जो पत्रावली में शामिल है मुताबिक रिपोर्ट के तीन नमूने आहरित किये गये थे, जिनमें से नमूना संख्या क्रमशः Ad(hq)/F/2025-26/001, Ad(hq)/F/2025-26/002, Not Neem Oil Content पाया गया है, तथा नमूना संख्या Ad(hq)/F/2025-26/003 Fco 1985 में Schedule में नही होने के कारण, इसका विश्लेषण संभव नही है। नमूना वापिस लौटाया गया है।

गैरसायल स्वय उपस्थित होकर वक्त बहस निवेदन किया गया है, कि विभाग द्वारा गलत तथ्यो पर कार्यवाही कर प्रकरण तैयार कर न्यायालय हाजा को पेश किया गया है। प्रकरण में जब्त शुदा यूरिया नीम कोटेड नही था। प्रकरण में तीन नमूना आहरित किये गये है, जिनकी रिपोर्ट पत्रावली में शामिल है, मुताबिक रिपोर्ट के प्रकरण में जब्त यूरिया नीम कोटेड नही पाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में जब्त सामग्री गैरसायल को वापिस लोटाने के आदेश दिये जावे। प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव विभागीय प्रतिनिधी / गैरसाल की बहस का मनन किया। उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद खैरथल– तिजारा (राजस्थान) द्वारा दिनाक 20.02.2026 को रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया भिवाडी में M/S Ekaksh Polymers G-1/1431, Rampur Mundana Riico Indl. Area Bhiwadi (Raj.) का निरीक्षण किया गया, जिसमें फैक्ट्री में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा तीन नमूने आहरित किये गये कमशः (नमूना कोड – Ad(hq)/F/2025-26/001, (नमूना कोड Ad(hq)/F/2025-26/002) (नमूना कोड Ad(hq)/F/2025-26/003) लिया गया। जिसको राजकीय परीक्षण प्रयोगशाला में जॉच हेतु भिजवाया। जिनमें से नमूना संख्या क्रमशः Ad(hq)/F/2025-26/001, Ad(hq)/F/2025-26/002, Not Neem Oil Content पाया गया है, तथा नमूना संख्या Ad(hq)/F/2025-26/003 Fco 1985 में Schedule में नही

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–

2. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (ग्रा0न0) कृषि आयुक्तालय, जयपुर

होने के कारण, इसका विश्लेषण संभव नही है। नमूना वापिस लौटाया गया है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा पेश किया प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद खैरथल– तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) खारिज किया जाता है, आदेश दिये जाते है, कि प्रकरण में जब्त किये संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया मात्रा 195 गुणा 50 किग्रा (9750 किग्रा) जो सुरक्षा की द्रष्टि से भिवाडी ग्राम सेवा सहकारी समिति शाखा टपूकडा की अभिरक्षा में रखवाया गया है। से वापिस प्राप्त किया जाकर नियमानुसार M/S Ekaksh Polymers G-1/1431, Rampur Mundana Riico Indl. Area Bhiwadi (Raj.) को लोटाया जावे। निर्णय प्रमाणित प्रति उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद खैरथल– तिजारा (राजस्थान) को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर एंव जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा